

**प्रेस नोट**  
**दिनांक 17.09.2020**



## **परिक्षेत्र आजमगढ़**

### **जनपद मऊ**

**(1) सेवानिवृत्त डाक्टर के साथ हुए, 50,000 रूपये के आनलाइन फ्राड की धनराशि साइबर सेल टीम द्वारा वापस कराया गया।**

पुलिस अधीक्षक मऊ के समक्ष दिनांक 13.09.2020 को आवेदक रामादरश राम (से0नि0व0चि0अ0), निवासी हरिद्वार कालोनी, भीटी, थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ ने अपने साथ हुए आनलाइन फ्राड के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसपर पुलिस अधीक्षक, मऊ के निर्देशानुसार चलाये जा रहे साइबर अपराध पर नियंत्रण के क्रम में जाँच प्रभारी साइबर सेल, जनपद मऊ द्वारा किया गया तो पाया गया की आवेदक के मोबाइल पर दिनांक 12.09.2020 को सायं 04.00 बजे फेक नम्बर से काल आया की मै आपके ब्रांच का मैनेजर बोल रहा हूँ, आपका बचत खाता जो बैंक आफ बड़ौदा में है, वह के0वाई0सी0 अपडेट न हो के कारण बन्द कर दिया जायेगा, जिसकी बातों/भ्रम में आकर आवेदक द्वारा खाते से लिंक मोबाइल नम्बर पर आये हुये ओ0टी0पी0 को फ्राडर को बता दिया गया, जिस कारण आवेदक के खाते से एक बार में ही 50,000/- रूपये का फ्राड हो गया था। फ्राड धनराशि Pay U के माध्यम से डिजिटल गोल्ड इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 9.1197 ग्राम सोना खरीदा गया था। साइबर सेल टीम, जनपद मऊ द्वारा मामले को गंभीरता से लेकर त्वरित जांच/कार्यवाही करते हुये आवेदक के बचत खाते में कुल रुपया 50,000/- वापस कराया गया। इस पर आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक, मऊ को धन्यवाद दिया गया।

#### **बरामदकर्ता टीम:-**

1. निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार चौधरी (प्रभारी साइबर सेल)
2. आरक्षी शैलेन्द्र कुमार कन्नौजिया
3. आरक्षी अंकुर यादव
4. महिला आरक्षी सरोज यादव
5. महिला आरक्षी वंदना पाण्डेय

**(2) मुख्तार अंसारी गिरोह आईएस 191 के अत्यंत नजदीकी, कोयला माफिया व अपराधिक गैंग आईआर- 09 के सदस्य व हिस्ट्रीशीटर राजेश उर्फ राजन सिंह की 35 लाख 23 हजार 600 रूपये की सम्पत्ति अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत मऊ पुलिस द्वारा जब्त**

जनपद मऊ पुलिस के द्वारा आपराधिक माफिया व उनके गुर्गों के विरुद्ध प्रचलित कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 17.09.2020 को मुख्तार अंसारी गिरोह आईएस 191 के अत्यंत नजदीकी व मुख्तार अंसारी के साथ मन्ना सिंह हत्याकांड 2009 में गवाह राम सिंह मौर्या एवं सुरक्षा में लगे आरक्षी सतीश हत्या में सह अभियुक्त रहे त्रिदेव कंस्ट्रक्शन/त्रिदेव कोल डिपो/त्रिदेव ग्रुप के पूर्व मालिक कोयला माफिया राजेश सिंह उर्फ राजन सिंह पुत्र रामवृक्ष सिंह निवासी अहिलाद जनपद मऊ की लगभग 35 लाख 23 हजार 600 की अपराध व अवैध रूप से अर्जित धन से बनाई गई संपत्ति अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई है।

आज दिनांक 17.9.2020 को क्षेत्राधिकारी नगर, मऊ के नेतृत्व में थानाध्यक्ष सरायलखंसी, कोतवाली व दक्षिणटोला के द्वारा राजेश सिंह उर्फ राजन सिंह पुत्र रामवृक्ष सिंह के द्वारा अपराध से अवैध रूप से अर्जित किए गए ग्राम खरगजेपुर तहसील सदर में स्थित आ0सं0 917क में 5.5 एयर व आ0सं0 917घ में 38 एयर व आ0सं0 917ड. 11 एयर व 917ज में 22 एयर कुल 04 गाटा 76.5 एयर यानी 189 कड़ी यानि 766 वर्ग मीटर भूखंड को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त कराई गई। इस प्रकार कुल लगभग 35 लाख 23 हजार 600 कीमत की प्रॉपर्टी जब्त कराई गई है। राजेश सिंह उर्फ राजन सिंह त्रिदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी/त्रिदेव कोल डिपो/त्रिदेव ग्रुप का संचालन अपने भाई उमेश सिंह के साथ मिलकर करता रहा है। इसके द्वारा मुख्तार अंसारी व गिरोह की आर्थिक रूप से मदद पिछले दो दशकों से की जाती रही है।

वर्ष 2009 में हुये मन्ना सिंह हत्याकांड में गवाह राम सिंह मौर्य व उनकी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी आरक्षी सतीश की सन 2010 में ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई जिस के संबंध में थाना दक्षिण टोला में एफआईआर नम्बर 399/2010 पंजीकृत किया गया। इस अभियोग में राजन सिंह, मुख्तार अंसारी के साथ सह अभियुक्त था इस हत्याकांड के संबंध में थाना दक्षिणटोला में मु0अ0सं0 891/2010 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट का अभियोग विरुद्ध मुख्तार अंसारी, राजन सिंह व अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध 2010 में दर्ज किया गया। इसके अलावा राजन सिंह के विरुद्ध कुल 08 अभियोग पंजीकृत है।

पिछले दो दशकों के दौरान राजन सिंह व उमेश सिंह के द्वारा मुख्तार अंसारी व गिरोह के मुख्य शरणदाता व आर्थिक मददगार के रूप में अतिसक्रिय व अग्रणी भूमिका रही है। माफिया से सम्बन्धों का फायदा उठाकर इंदारा कोपागंज में कोल डिपो स्थापित कर मोनोपोली बनाते हुए कोयला माफिया के रूप में इन दोनों के द्वारा अर्जित धन से मुख्तार अंसारी गिरोह की फंडिंग लंबे समय से की जाने की भी बात प्रकाश में आई है।

यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त राजेश उर्फ राजन सिंह के भाई उमेश सिंह की अपराध व अवैध रूप से अर्जित लगभग 6.5 करोड़ रूपये की संपत्ति पूर्व में जब्त की जा चुकी है।

**अपराधिक इतिहास राजेश उर्फ राजन सिंह-**

1. मु0अ0सं0 91ए/97 धारा 504,507 भादवि थाना सरायलखंसी मऊ।
2. मु0अ0सं0 91ए/98 धारा 110जी सीआरपीसी थाना सरायलखंसी मऊ।
3. मु0अ0सं0 91ए/98 धारा 302,307,120बी,34 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना सरायलखंसी मऊ।

4. मु0अ0सं0 399/10 धारा 147,148,149,302,307,120बी व 34 भादवि थाना सरायलखंसी मऊ।
5. मु0अ0सं0 891/10 धारा 3(1) गै0 एक्ट थाना दक्षिणटोला मऊ।
6. मु0अ0सं0 20/14 धारा 147,148,149,302,307,506,120बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना तरवां आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0 50/17 धारा 110जी सीआरपीसी थाना सरायलखंसी मऊ।
8. मु0अ0सं0 360/17 धारा 504,507 भादवि थाना सरायलखंसी मऊ।

इस तरह मुख्तार अंसारी गिरोह के माफियाओं व सहयोगियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में विगत 87 दिनों में कुल 20 करोड़ 65 लाख 20 हजार की चल/अचल संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है।

## जनपद आजमगढ़

**थाना सरायमीर:- पुलिस मुठभेड़ में अवैध असलहा तस्कर 02 अभियुक्त गिरफ्तार, 05 अदद तमंचा, 02 अदद पिस्टल, कारतूस सहित मोटरसाइकिल बरामद**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध मादक पदार्थ/अवैध असलहा तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ एवं क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन में दिनांक 16.09.2020 को सरायमीर पुलिस एवं स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर बस्ती नहर पुलिस के पास पुलिस मुठभेड़ में दो व्यक्ति को समय 21.30 बजे गिरफ्तार किया गया। नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम क्रमशः 1. सत्यम राय पुत्र गिरजा शंकर राय निवासी ग्राम गोमाडीह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 2. नितिश धरिंकर उर्फ साधू पुत्र प्रदीप धरिंकर निवासी ग्राम सरायपस्तू थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ बताया। मौके से एक अदद मोटरसाइकिल सुपर स्पलेण्डर की डिग्गी से 05 अदद तमंचा व 06 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा अभियुक्तगण की तलाशी से अभियुक्त सत्यम के पास से एक अदद पिस्टल, 02 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर तथा अभियुक्त नितिश धरिंकर के पास से 01 अदद पिस्टल एवं 02 अदद खोखा कारतूस 32 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर 1. मु0अ0सं0- 171/2020 धारा 307/419/420/467/468/471/411 भा0द0वि0 2. मु0अ0सं0- 172/2020 धारा 3/5/7/25/27 आर्म्स एक्ट 3. मु0अ0सं0- 173/2020 धारा 3/5/7/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. सत्यम राय पुत्र गिरजा शंकर राय निवासी ग्राम गोमाडिह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
2. नितिश धरिंकर उर्फ साधू पुत्र प्रदीप धरिंकर निवासी ग्राम सरायपस्तू थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

### पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0- 171/2020 धारा 307,419,420,467,468,471,411 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0- 172/2020 धारा 3/5/7/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ बनाम सत्यम

3. मु0अ0सं0- 173/2020 धारा 3/5/7/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ बनाम नितिश धरिकर ।

### बरामदगी

1. 5 अदद तमंचा ,06 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ।
- 2 अदद पिस्टल ,02 अदद जिन्दा कारतूस,02 अदद खोखा कारतूस 32 बोर ।
3. एक अदद मोटरसाईकिल सुपर स्पलेण्डर ।

### गिरफ्तार एव बरामदगी करने वाली टीम

1. प्रभारी निरीक्षक थाना सरायमीर अनिल सिंह मय हमराह जनपद आजमगढ ।
- 2.प्रभारी निरीक्षक स्वाट टीम दिनेश कुमार सिंह मय हमराह जनपद आजमगढ ।

नोट- उपरोक्त गिरफ्तारी एव बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रूपये नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया ।

